प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.01.2026

थाना ए0एच0टी0 कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना कौशाम्बी पर पंजीकृत अभियोग से सम्बंधित गुमशुदा बालिका उम्र 16 वर्ष बरामद।

दिनांक 15.06.2025 को वादिया निवासी भोवापुर पाल चौक थाना कौशाम्बी गाजियाबाद के द्वारा थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर अपनी बहन उम्र 16 वर्ष के गुम हो जाने के सम्बन्ध में अभियोग अन्तर्गत धारा 137(2) बी0एन0एस0 थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना थाना ए0एच0टी0 को स्थानांतरित की गई उक्त अभियोग की विवेचना थाना ए0एच0टी0 द्वारा सम्पादित की जा रही थी। उक्त विवेचना के क्रम में थाना ए0एच0टी0 कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम के द्वारा दिनांक 26.01.2026 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित गुमशुदा बालिका उम्र 16 वर्ष निवासी भोवापुर पाल चौक थाना कौशाम्बी गाजियाबाद को मेरठ तिराहा से सकुशल बरामद किया गया तथा उक्त प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर बाल कल्याण समिति गाजियाबाद के समक्ष पेश करके दिनांक 27.01.2026 को उसके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया। परिजनों ने खुश होकर पुलिस का धन्यवाद किया।

बरामद बालिका का विवरण:

उम्र 16 वर्ष निवासी भोवापुर पाल चौक थाना कौशाम्बी गाजियाबाद।

बरामद करने वाली टीम:-

थाना ए0एच0टी0 पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 19.11.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री सुशील गुप्ता पुत्र श्री नरेंद्र गुप्ता निवासी 10/28 सेक्टर 3 राजेंद्र नगर साहिबाबाद की तहरीर पर विपक्षी पप्पू राघव उर्फ हरेन्द्र कुमार प्रोपर्टी डीलर द्वारा वादी को बताया गया कि आगरा विकास प्राधिकरण के दो प्लाट, जिसमें एक प्लट 351 वर्ग मीटर व दूसरा प्लट 630 वर्ग मीटर का ताजनगरी आगरा में हैं। जिसे मैंने मूल आवंटी से खरीद लिया है। यह मुझे सस्ते मिल गए हैं। आवंटी के पास अथोर्टी में पैसे जमा कराने के लिए नहीं थे कृपया या तो पैसे उधार दे दो या मुझसे ये प्लाट खरीद लो और सब मेरी जिम्मेदारी रहेगी और तुम्हें इसमें अच्छा लाभ होगा वैसे भी पैसे एक साल तक धीरे-धीरे करके देना है इसमें पैसे जमा कराकर मैं ये ऊंचे रेटों में बेच दूंगा और आपको अच्छा लाभ कराकर दूंगा यह कहते हुए विपक्षी ने वादी से दोनों प्लाट की डील कर ली तथा 351 मीटर का प्लाट 65 लाख व 630 मीटर का 02 करोड़ 20 लाख में तय कर लिया फिर

ये हमसे पैसे लेता रहा और हमें हर बार रिसीविंग साइन कर देता रहा बाद में 60 लाख पहुंच जाने पर ये झूठे वादे करने लगा और वादों के उपरांत तारीखों पर मुकर जाता। वह रोज झूठे आश्वासन देता रहा। जब वादी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी गया तो पता चला कि विपक्षी द्वारा जितने भी दस्तावेज दिये गये थे वे सारे फर्जी थे। जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर धोखाधड़ी के सम्बन्ध में धारा 420, 406, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 28.01.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त पप्पू राघव उर्फ हरेन्द्र कुमार राघव पुत्र स्व0 महेन्द्र पाल सिंह निवासी म0न0-98 एमआईजी नेहरु एन्कलेव थाना सदर बाजार कमिश्नरेट आगरा उम्र करीब 54 वर्ष को उसके मूल निवास म0न0-98 एमआईजी नेहरु एन्कलेव थाना सदर बाजार कमिश्नरेट आगरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त पप्पू राघव उर्फ हरेन्द्र कुमार राघव पुत्र स्व0 महेन्द्र पाल सिंह उपरोक्त के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 506 भादवि के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त पप्पू राघव उर्फ हरेन्द्र कुमार राघव पुत्र स्व0 महेन्द्र पाल सिंह उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये है कि अभियुक्त उपरोक्त फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें आम लोगों को दिखाकर धोखाधड़ी करके प्लाट बेचता है। इसीक्रम में अभियुक्त द्वारा वादी को फर्जी कागज दिखाकर दो प्लाट बेचने के एवज में पैसे लेकर धोखाधड़ी करने की घटना कारित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

पप्पू राघव उर्फ हरेन्द्र कुमार राघव पुत्र स्व0 महेन्द्र पाल सिंह निवासी म0न0-98 एमआईजी नेहरु एन्कलेव थाना सदर बाजार कमिश्नरेट आगरा उम्र करीब 54 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर धोखाधड़ी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 27.01.2026 की रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र तेज सिंह निवासी ग्राम खोदना कला थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 21 वर्ष को कनावनी पुस्ता कट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सचिन कुमार उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सचिन कुमार उपरोक्त का थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में एक संगठित गिरोह है। जिसका गैंग लीडर सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र पहलवान है। अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाकर अपने भौतिक व आर्थिक धन अर्जित करने के लिये चोरी/लूट व डकैती जैसे जघन्य अपराध कारित किये जाते हैं। इसीक्रम में थाना क्षेत्र इन्दिरापुरम अन्तर्गत दिनांक 14.07.2025 की रात्रि में व्यापारी प्रवेश बिश्नोई अपनी स्कूटी से अपनी ग्रोसरी की दुकान (कनावनी क्लाउड-9 सोसाइटी) को बन्द करके अपने घर प्रताप विहार जा रहे थे उसी दौरान कनावनी पुस्ता पर लूट करने की घटना कारित की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सचिन कुमार पुत्र तेज सिंह निवासी ग्राम खोदना कला थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त सचिन कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर लूट व गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियोग व थाना कौशाम्बी पर पुलिस मुठभेड़ का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिये गये, कब्जे से चोरी किया गया सामान व 700 रूपये बरामद।

दिनांक 24.01.2026 को वादी श्री विकास मण्डारी निवासी उत्तरांचल हार्डवेयर C-1/66 डी0एल0एफ0 थाना अंकुर विहार गाजियाबाद द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 23.01.26 की सुबह करीब 3 - 4 बजे के बीच मेरी दुकान उत्तरांचल हार्डवेयर में चोरों द्वारा दुकान के ताले तोडकर पीतल और ब्रास का सामान और एक बैग जिसमें मेरा आईडी कार्ड था, चोरी कर लिये गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा 305(a)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 28.01.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त फैसल पुत्र सलीम निवासी सूरजपुर नोएडा उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त फैसल उपरोक्त के कब्जे से चोरी किया गया सामान कुल 43 टोंटी व 19 टोंटी के हिस्से पुर्जे, वादी का 01 पहचान पत्र व चोरी से सम्बन्धित 700 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान बाल अपचारीगण द्वारा बताया गया कि हम दोनों आपस में दोस्त हैं। हम दोनों फैसल पुत्र सलीम निवासी सूरजपुर नोएडा को काफी दिनों से जानते हैं। फैसल ने ही हम दोनों को इंस्टाग्राम कॉल पर कमर्शियल मार्केट में हार्डवेयर की दुकान से टोटी चोरी करने के लिये कहा था कि तुम दोनों हार्डवेयर की दुकान से टोटी चोरी कर लो जिन्हे मैं तुमसे ले लूँगा तथा बदले में तुम्हे पैसे दूँगा। फैसल के कहने पर ही हम दोनों ने पैसों के लालच में आकर कमर्शियल मार्केट में उत्तरांचल हार्डवेयर की दुकान से शटर तोड़कर टोटी की चोरी की थी, जिन्हे हमने फैसल को बेच दिया था। अभियुक्त फैसल उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि करीब 1- 2 साल पहले मैं डीएलएफ में ही कबाडी की दुकान करता था और इन दोनों को मैं पहले से ही जानता था। मैंने ही इंस्टाग्राम कॉल करके इनको उत्तरांचल हार्डवेयर की दुकान में चोरी करने के लिए कहा था और इनके द्वारा चोरी करने के बाद मैंने इन दोनों बच्चों से चोरी किया गया सामान सस्ते दामों पर खरीदा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

फैसल पुत्र सलीम निवासी सूरजपुर नोएडा उम्र करीब 22 वर्ष।

02 बाल अपचारी (पुलिस अभिरक्षा में)

बरामदगी का विवरण -

कुल 43 टोंटी व 19 टोंटी के हिस्से पुर्जे, वादी का पहचान पत्र व घटना से संबंधित 700 रु0 बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र खोडा में छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीने हुए नगद 75,000/- रुपये, छिनैती किये हुए रुपयों से खरीदा हुआ 01 आई-फोन व छिनैती की घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 11.01.2026 को थाना खोडा पर वादी राजीव गुप्ता पुत्र श्री आत्मराम गुप्ता ने लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 10.01.2026 की रात्रि में घर जाते समय अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा मेरा बैग जिसमें मेरे पैसे रखे हुए थे को छीनकर भाग गये हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना खोडा पुलिस द्वारा धारा 304(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में दिनांक 27/28.01.2026 की रात्रि को थाना खोड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त 1. दीपांशू पुत्र महकार सिंह निवासी प्रताप विहार बीरबल चौकी के पीछे

थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष व 2. यश गुप्ता पुत्र संदीप गुप्ता निवासी गली न0 04 प्रकाश नगर खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को इन्दिरापुरम अण्डरपास से छीने हुए नगद 75,000/- रुपये, छिनैती किये हुए रुपयों से खरीदा हुआ 01 आई-फोन व छिनैती की घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 304(2) बीएनएस में धारा 317(2), 126(2), 3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त यश ने बताया कि मैंने करीब 03 साल पहले अपने शौक मौज के लिए पढ़ाई छोड दी और अपने शौक मौज पूरा करने के कारण मेरे ऊपर काफी कर्जा हो गया था। मैंने दीपांशू से 50 हजार रुपये लिये थे। जिनके लिये वो आये दिन तगादा करता रहता था और मैं पैसे नहीं लौटा पा रहा था तब मैंने दीपांशू से कहा कि मेरे पास एक काम है। मेरे नाना राजीव गुप्ता की खोडा में गजक की होल सेल की दुकान है, जिसे वो रोज रात्रि 11 बजे के आस-पास बंद करके स्कूटी से थैले में कैश लेकर घर जाते है और इस समय लोहडी और मकर संक्रांति की वजह से काफी अच्छी सेल चल रही है अगर हम उन्हें से बैग छीन लें तो काफी अच्छा पैसा मिल सकता है तब दीपांशू ने कहा कि इसके लिये और लोगों की जरुरत पडेगी इसके बाद दीपांशू ने अपनी मौसी के लड़के लक्की और अंशू पण्डित को बुलाया और तब हम चारों ने एकराय होकर योजना बनाई। दिनाक 10.01.2026 को योजना के अनुसार जब मेरे नाना व नानी दुकान को बंद करके कैश का थैला लेकर घर को निकले तभी मैं हेलमेट लगाकर बाइक चला रहा था पीछे बैठे अंशु ने थैला छीना और हम लोग थैला छीनकर वहाँ से भाग गये। थैले में मिले हुए पैसे को हमने आपस में बांट लिया।

इसीक्रम में अभियुक्त दीपांशू उपरोक्त ने बताया कि मैंने यश को 50 हजार रुपये दिये थे और वो मेरे रुपये नहीं लोटा रहा था तब उसने अपने नाना जिनकी खोडा में गजक की दुकान है से बैग छीनने को कहा था तो मैंने अपने मौसी के लड़के लक्की और अंशू को बुलाया था जिसके बाद हम चारों ने एक राय होकर योजना बनाकर दिनांक 10.01.2026 की रात्रि के समय यश के नाना व नानी दुकान को बंद करके कैश का थैला लेकर घर को निकले तभी यश हेलमेट लगाकर बाइक चला रहा था और पीछे बैठे अंशू ने थैला छीना और हम लोग थैला छीनकर वहाँ से भाग गये। थैले में मिले हुए पैसे को हमने आपस में बांट लिया तथा अपने हिस्से के पैसों से मुझे अंशु ने 01 आई फोन 14 प्रो भी 01 लाख 20 हजार रुपये में खरीद कर दिया था जो कि मेरे पास से बरामद हुआ है। इसीक्रम में दोनों अभियुक्त शौक मौज करने के लिये दिल्ली जा रहे थे कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

पकड़े गये अभियुक्तगण द्वारा लक्की और अंशू पण्डित का नाम भी घटना में शामिल होना बताया गया है। अतः वांछित अभियुक्त लक्की और अंशू पण्डित की तलाश जारी है जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. दीपांशू पुत्र महकार सिंह निवासी प्रताप विहार बीरबल चौकी के पीछे थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 21 बर्ष।
2. यश गुप्ता पुत्र संदीप गुप्ता निवासी गली न0 04 प्रकाश नगर खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 19 बर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

छीने हुए नगद 75,000/- रुपये, छिनैती किये हुए रुपयों से खरीदा हुआ 01 आई-फोन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खोड़ा पर छिनैती करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा वादी की दुकान में आग लगाने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 11.12.2024 को वादी श्री राकेश चौधरी पुत्र स्व0 हंशराम निवासी 20/A/04 कृष्ण गली न0 2 मौजपुर दिल्ली ने लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 06.12.2024 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की दुकान न0 27 ओम मार्केट मेट्रो पिलर नं0 297 मोहननगर में आग लगा दी है । प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना साहिबाबाद पर धारा 326(G) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर की मदद से उक्त घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्त प्रकाश में आये थे । दोनों अभियुक्तों को पूर्व में दिनांक 07.03.2025 को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है । पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त सुनिल एवं लोकेश के बयानों के आधार पर अभियुक्त अंकुल विरमनी का नाम प्रकाश में आया था । जिसे थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 27.01.2026 की शाम को प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त अंकुश विरमनी पुत्र अनिल कुमार निवासी म0न0 वी 220 द्वितीय तल थाना राजोरी गार्डन दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष को जे ब्लाक के गेट न0 1 राजौरी गार्डन दिल्ली से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त अंकुश विरमनी पुत्र अनिल कुमार उपरोक्त के विरुद्ध धारा 326(G) बीएनएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अंकुश विरमनी पुत्र अनिल कुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये है कि अभियुक्त अंकुश विरमनी की बहन ने अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से अश्वनी चौधरी पुत्र राकेश चौधरी निवासी 20/A/04 कृष्ण गली न0 2 मौजपुर दिल्ली से शादी की थी । जिसकी शादी को लेकर अभियुक्त का अश्वनी चौधरी व उसके परिवार के साथ विवाद चल रहा था । उसी विवाद को लेकर अभियुक्त अंकुश ने सुनिल एवं लोकेश के साथ मिलकर अश्वनी चौधरी के पिता राकेश चौधरी की दुकान पर आग लगाने की योजना बनायी थी । जिसका मुख्य सूत्रधार स्वंय अभियुक्त अंकुश विरमनी था और दिनांक 06.12.2024 को वादी की दुकान न0 27 ओम मार्केट मेट्रो पिलर नं0 297 मोहननगर में आग लगाने की घटना कारित की थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकुश विरमनी पुत्र अनिल कुमार निवासी म0न0 वी 220 द्वितीय तल थाना राजोरी गार्डन दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त अंकुश विरमनी पुत्र अनिल कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपरिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग मे वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 26.01.2026 को थाना कौशाम्बी पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर वादिया की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में धारा 64(1), 351(2), 115(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 28.01.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना को कारित करने वाला 01 अभियुक्त मुकुल कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी तिगडी दुधेश्वर एन्कलेव गली नं०12ए (कच्ची कॉलोनी) गौर सिटी नोएडा एक्सटेंशन गौतमबुद्धनगर मूल निवासी गांव हुलासी का पूरवा पिलख झिझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष को 2/5 की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त मुकुल उपरोक्त के विरुद्ध धारा 64(2)एम, 115(2), 351(3) बीएनएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मुकुल उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मै डॉग ट्रेनिंग का काम करता हूँ। इसी दौरान मै सितम्बर 2025 में वादिया के घर डॉग ट्रेनिंग के लिये आया था। मै डेली शाम के वक्त करीब 01 घण्टा डॉग को ट्रेनिंग देता था। उस दौरान मेरी व वादिया की पुत्री की बातचीत होने लगी। मैने वादिया की पुत्री के साथ जबरदस्ती शारिरिक सम्बन्ध बनाकर उसके वीडियो फोटो बना लिये थे। जिसके बाद वादिया की पुत्री के साथ बार-बार शारिरिक सम्बन्ध बनाये थे बाद में जब वादिया की पुत्री ने मुझसे मिलने से मना कर दिया था तो मैने वादिया की पुत्री को वीडियो व फोटो वायरल करने व आत्महत्या करने की धमकी दी थी और यह कहा था की मै सुसाइड करके वादिया की पुत्री व उसकी मां को फसंवा दूंगा। जिस फोन से मैने वादिया की पुत्री की फोटो ली थी, वह फोन टूट गया था जोकि अब मेरे पास नही है। इसीक्रम में अभियुक्त आज डॉग ट्रेनिंग सिखलायी के लिये वैशाली की तरफ जा रहा था कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुकुल कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी तिगडी दुधेश्वर एन्कलेव गली नं०12ए (कच्ची कॉलोनी) गौर सिटी नोएडा एक्सटेंशन गौतमबुद्धनगर मूल निवासी गांव हुलासी का पूरवा पिलख झिझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त मुकुल कुमार पुत्र मनोज कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर वादिया की पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने से सम्बंधित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।